न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर, राज0

पीठासीन अधिकारीः– गंगाधर मीणा, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	प्राथमिक पर्चा डिक्री दिनांक
204 / 2021	07.07.2021	10.01.2022

1. नेमीचन्द पुत्र श्री सुलतान जाति मीना निवासी सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान।

..........वादी

बनाम

1. कोयली पत्नी रोहिताश
2. सन्तोष पत्नी रामसिंह
3. माया पत्नी श्यामसिंह जाति मीना निवासी सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
4. रामसिंह पुत्र श्री कुडिया सिंह जाति सिख निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 हाल निवासी गली नम्बर 10 बुध विहार जय माता मार्केट श्रीनगर उत्तर पश्चिमी दिल्ली 110035
5. श्रीमान उप पंजियक महोदय कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
6. राज सरकार जरिये तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर राज0।

..........प्रतिवादीगण

7. शेरसिंह पुत्र श्री सुलतान सिंह जाति मीना निवासी सिलपटा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

..........तर0 प्रतिवादी

दावा 53 एवं 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

–: प्राथमिक पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री चरण सिंह एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 की ओर से **श्री कप्तान सिंह भारद्वाज एडवोकट** की उपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 10.01.2022** को **श्री गंगाधर मीणा, उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम** के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और प्राथमिक डिक्री दी जाती है:–**

"न्यायालय दावा बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सिपलटा तहसील कोटकासिम, जिला अलवर में स्थित भूमि हाल ख0 नं0 93 रकबा 1.8500 है0 में वादी व प्रतिवादीगण का खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस हेतु तहसीलदार कोटकासिम को अहकाम जारी हो कि वे विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के मौके पर कब्जे [illegible] काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से [illegible] एवं रास्तो [illegible] विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत् रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार क[illegible] तारीख पेशी **24.01.2022** से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाये।

यह प्राथमिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.01.[illegible]2 को मेरे द्वारा लिखायी बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी
(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)
कोटकासिम जिला अलवर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:09:07 IST
Reason: SelfAttested